रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266003 CG-DL-E-08092025-266003

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 5631

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 607(अ).— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

5948 GI/2025 (1)

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता**: वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है या	सीधी भर्ती किए
नाम			स्तर	अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	255* (2025)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन ।	लागू नहीं होता ।
प्रवर्तन	,	सेवा,	स्तर-10		
निदेशक	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'क'	(56100 -		
	परिवर्तन किया जा	राजपत्रित,	177500/- रु.)		
	सकता है।	अननुसचिवीय			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	 (i) 60% प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रितिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ; और (ii) 40% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।

	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया
	जाएगा।
r	(11)

प्रोन्नति:

- (i) 92% वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में ऐसे प्रवर्तन अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, और
- (ii) 8% वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में ऐसे अधीक्षक जिन्होंने उस श्रणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा क्रमश: विद्यमान प्रवर्तन अधिकारी (स्तर 8) या अधीक्षक (स्तर 7) की बाबत शेष 2/ 3 वर्ष के लिए बनी रहेगी, जो इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं ।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों जिसके अंतर्गत पुलिस संगठन या संघ राज्यक्षेत्र जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठन भी है या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या भारतीय रिवर्ज बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक भी है के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की है; और
- (ख) (i) जो राजवित्तीय या दांडिक विधियों से संबंधित आसूचना, अन्वेषण और विधिक कार्य या न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में; या बैंककारी या लेखा में या लेखा परीक्षा में अन्वेषण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
प्रोन्नति के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;	आवश्यक है ।
2. अपर सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य;	
3. प्रवर्तन निदेशक - सदस्य ।	
पुष्टि के लिए समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. अपर सचिव, राजस्व विभाग – अध्यक्ष;	
2. प्रवर्तन निदेशक – सदस्य;	
3. संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/3/2022-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

- **G.S.R.** 607(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Assistant Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:—
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	255* (2025)	General Central	Level-10 (Rs.	Selection.	Not
Director of		Service,	56100-177500) in		applicable.
Enforcement	*Subject to	Group 'A',	the pay matrix		
	variation	Gazetted,			
	dependent on	Non-Ministerial			
	workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) Sixty per-cent by promotion failing which by deputation (including short term contract); and
			(ii) forty per-cent by deputation (including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or
deputation/absorption to be made.
(11)

Promotion:

- (i) Ninety-two per cent from Enforcement Officer Level 8 in the pay matrix with four years regular service in the grade; and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant field as prescribed by the Department; and
- (ii) eight per cent from Superintendent in level-7 in the pay matrix with five years regular service in the grade; and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant field as prescribed by the Department.

Note 1: The eligibility service for promotion shall continue to remain 2/3 years in respect of existing Enforcement Officer (Level 8) or Superintendent (Level 7) respectively, who are holding the post on regular basis on the date of notification of these recruitment rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments including State Police Organisations or Union Territories including Union Territories Police Organisations or Central Bureau of Investigation or Reserve Bank of India or Public Sector Banks:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) (i) possessing three years experience in the field of intelligence, investigation and legal work or adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws; or in the field of investigation in banking or accounts or in audit.

Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including Short – Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including Short-Term Contract) shall not be exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering proconsisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman	Union Public Service Commission is necessary for
2. Additional Secretary, Department of Revenue —Member;	promotion.
3. Director of Enforcement – Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of:	mation,
1. Additional Secretary, Department of Revenue – Chairman	;
2. Director of Enforcement – Member; 3. Joint Secretary, Department of Revenue - Member.	
3. Joint Secretary, Department of Revenue - Member.	

[F. No. A-12018/3/2022-Ad.ED] RAJEEV LOCHAN, Under Secy.